न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 10/2018

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण

1प्रमोद सिंह राजपुरोहित पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपुरोहित निवासी अम्बिका नगर, गोटन रोड, मेडतासिटी।
फर्म–श्री भवानी स्वीट होम, हलवाई गली, मेडतासिटी।
2ऋषि कुमार सोनी पुत्र बाबूलाल निवासी सुनारो का मोहल्ला (बास) मेडतासिटी।
फर्म–सोना कोल्ड ड्रिंक्स विष्णु सागर रोड, मेडतासिटी।
3भरत कुमार सुखीजा (अस्टिंट प्रोडेक्शन) पुत्र गोरधनदास निवासी 11/622 मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर।
फर्म–मै. बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि., एफ/196–99, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।
4फर्म–मै. बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि., एफ/196–99, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर।

आदेश

दिनांक :04.03.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 16-10-2017 को मैसर्स श्री भवानी स्वीट होम, मेडतासिटी पर खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बीकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 922 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1095/एक्ट/2017/1095 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना सोन पपडी (बीकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) मिस ब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त प्रमोद सिंह राजपुरोहित पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपुरोहित निवासी अम्बिका नगर, गोटन रोड, मेडतासिटी, ऋषि कुमार सोनी पुत्र बाबूलाल निवासी सुनारो का मोहल्ला (बास) मेडतासिटी, भरत कुमार सुखीजा (अस्टिंट प्रोडेक्शन) पुत्र गोरधनदास तथा मै. बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि., एफ/196–99, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस. ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 13-06-2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 2 दिनांक 29.08.18 को न्यायालय मे उपस्थित हुए। इसके पश्चात न्यायालय मे हाजिर नही हुए है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 को दिनांक 12.11.2020 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस के तलब किया गया। जो बावजूद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे दिनांक 16.10.2017 को मैसर्स भवानी स्वीट्स होम मेडता पर खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बीकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) मिसब्राण्ड, सब स्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर एफएसएसए 2006 के तहत नमूना लिया गया है तथा नमूने की कार्यवाही मौके पर उपस्थित गवाहो की उपस्थिति मे की गई है। तत्पश्चात उक्त नमूनो के पैकेटो का विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति मे लेबल तैयार कर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड एवं सीरीयल नं. क्यू – 922 अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता, गवाहान व प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये तथा उक्त लेबल मे से एक एक लेबल प्रत्येक नमूना बोतलो पर गोद से चिपकाया व एक अन्य लेबल तैयार कर उस पर गवाह, विक्रेता एवं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये, को परिवाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। नियमानुसार सील चपडी किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1095/एक्ट/2017/1095 दिनांक 17.11.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोन पपडी (बीकाजी सदाबाहर ब्राण्ड) का नमूना मिस ब्राण्डेड पाया गया है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 प्रमोद सिंह राजपुरोहित पुत्र जीवराज सिंह जाति राजपुरोहित निवासी अम्बिका नगर, गोटन रोड, मेडतासिटी, पर रूपये 10,000/– अक्षरे रूपये दस हजार एवं अप्रार्थी सं. 2 ऋषि कुमार सोनी पुत्र बाबूलाल निवासी सुनारो का मोहल्ला (बास) मेडतासिटी, पर रूपये 15,000/– अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार तथा अप्रार्थी सं. 3 भरत कुमार सुखीजा (अस्टिंट प्रोडेक्शन) पुत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

गोरधनदास पर रूपये 50,000/— अक्षरे रूपये पचास हजार तथा अप्रार्थी सं. 4 मै. बीकाजी फूड इन्टरनेशनल लि., एफ/196—99, बीछवाल इण्डस्ट्रीयल एरिया, बीकानेर पर रूपये 50,000/— अक्षरे रूपये पचास हजार कुल रूपये 1,25,000/— अक्षरे रूपये एक लाख पच्चीस हजार शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर